न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा राज.

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–39/2017 प्रार्थना पत्र

अनवान

1–कानु पिता नारू जाट निवासी नयाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थी

बनाम

1–तुलसी बेवा श्रीराम जाट निवासी नयाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
2–कस्तुरी पुत्री जीतु जाट निवासी नयाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
3–कंकु पत्नि जीतू जाट निवासी नयाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
4–अम्बालाल पिता दला जाट निवासी नयाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
5–भंवरलाल पिता दला जाट निवासी नयाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
6–धीसा पिता केसा जाट निवासी नयाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
7–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.</u>

उपस्थित
फारूख मोहम्मद– अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक 02.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट झडोल मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नयाखेडा पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 70 रकबा 0.46 है0, भूमि दर्ज रेकार्ड होकर खाता संख्या 8 पर दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है। प्रार्थी की आराजी संख्या 70 रकबा 0.46 है0 भूमि के पास में विपक्षी संख्या एक लगायत 7 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 159 रकबा 0.11 है0 किस्म गैमु0 चाह स्थित है। उक्त चाह के फेरे में होकर प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 70 में प्रवेश करता है उक्त चाह मीशमार होकर मौके पर खण्डानुमा है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 70 में सदैव से ही चाह के फेरे में होकर पैदल, संज, बेल, ट्रेक्टर आदि से आवागमन करता रहा है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी के आवागमन के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा छडीयां डालकर रास्ता अवरूद्ध कर देते हैं तथा बाधा उत्पन्न करते हैं आराजी चाह संख्या 159 के रास्ते से होकर प्रार्थी आता जाता रहा है। प्रार्थी अपनी आराजी में मुख्य रास्ता जो झडोल सींहपुरा की आराजी संख्या 272 से होकर आगे आराजी संख्या 158 जो गैमु0 रास्ता दर्ज है से होता हुआ विपक्षीगण की चाह संख्या 159 के फेरे में होकर आवागमन करता रहा है। प्रार्थी की आराजियात में आवागमन विपक्षीगण की आराजी संख्या 159 के फेरे में होकर प्रार्थी के पूर्व खातेदार जिन्होनें प्रार्थी को उक्त आराजी संख्या 70 विक्रय की पैदल, संज, बेल, ट्रेक्टर आदि से आवागमन करते थे। जिन्होनें प्रार्थी के पक्ष में किये गये विक्रयपत्र में भी उक्त रास्ते का अंकन किया है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग विगत 25 वर्षों से करता रहा है लेकिन गत वर्ष प्रार्थी के उक्त रास्ते को विपक्षीगण ने छडियां डालकर बन्द कर दिया तथा रास्ते में नहीं आने की धमकियां दी जिससे विवश होकर प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु पेश कराना पडा है। प्रार्थी उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली रकबे की नियमानुसार डी.एल.सी दर जमा कराने को तत्पर है। प्रार्थी की आराजी संख्या 70 में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण के मीशमार चाह संख्या 159 के फेरे का ही है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजियात में आवागमन करने का काई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थी

के रास्ते को विपक्षीगण ने बन्द कर दिया हे। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त रास्ते को बन्द नहीं करने एवं डाली गई बाधा को हटाने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण उल्टा प्रार्थी को डराने धमकाने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा यहा कोई रास्ता नहीं है तुम्हें जो कार्यवाही करनी है करलो प्रार्थी ने अंतिम बार दिनांक 25.01.2017 को कहा लेकिन विपक्षीगण ने रास्ते में और छडियां डालकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और ऐलानियां धमकियां देने लग गये जिससे विवश होकर प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ते हेतु यह प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना पडा है। बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 25.01.2017 से निरंतर उत्पन्न होकर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.03.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या एक से छः बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में भी नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हैं। तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कि गई जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नयाखेडा पटवार हल्का झडोल की कृषि भूमि आराजी नम्बर 70 पर जाने के लिए रास्ता चालू है। जो बिलानाम रास्ते आराजी नम्बर 272 में से होकर खातेदारी आराजी नम्बर 151, 152, 154, 155, 156 में से होकर बिलानाम आराजी नम्बर 158 किस्म गैमु0 रास्ता में होकर (खातेदारी एवं सरकारी) आराजी नम्बर 159 रकबा 0.11 है0 किस्म गैमु0 चाह की छूट में से होकर जाता है। उक्त रास्ता मौके पर चालू है। मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में उक्त आराजी नम्बर 70 पर संलग्न नक्शे में लाल एवं हरी स्याही से दर्शाये अनुसार होकर जाया जा रहा है। वान्छित आराजी नम्बर का कितना हिस्सा आयेगा विवरण निम्न अनुसार हैः–

नाम ग्राम	आराजी नं.	कुल रकबा	किस्म	वांछित रकबा	नाम खातेदार
नयाखेडा	159	0.11 है0	गैमु0 आचा	72*4= 288 मी.^{2}	सरकार 5/16 तुलसी बेवा सरीराम कस्तुरी पुत्री जीतू कंकू पत्नी जीतु अम्बालाल भंवरलाल पिता दला 11/48 घीसा पिता केसा कस्तुरी पुत्री जीतू कंकू पत्नी जीतू जाट 11/32 हि0 ब. सा. देह खातेदार

वर्तमान जो रास्ता है उसे हरी स्याही से दर्शाया गया है। एवं प्रार्थी जो रास्ता चाहता है। उसे आराजी नम्बर 159 में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। सिंचित की डी.एल.सी. दर 107800/– प्रति बीघा से 288 वर्गमीटर*49.88 से 14368/– रूपये की राशि दोगुनी 28734/– रूपये संबंधित को भुगतान किया जाने पर रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा की है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम नयाखेडा पटवार हल्का झडोल में प्रार्थी की भूमि एवं बिलानाम रास्ते के मध्य विपक्षीगण सरकार 5/16 तुलसी बेवा सरीराम कस्तुरी पुत्री जीतू कंकू पत्नी जीतु अम्बालाल भंवरलाल पिता दला 11/48 घीसा पिता केसा कस्तुरी पुत्री जीतू कंकू पत्नी जीतू जाट 11/32 हि0 ब. सा. देह खातेदार आराजी नम्बर 159 रकबा 0.11 है0 गैमु0 आचा 72*4 = 288 मी.^{2} दूरी की चौडाई का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। डी.एल.सी. दर से 288 वर्गमीटर दर की दोगुनी राशि 28734/– रूपये बनती जो विपक्षीगण को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर तहसीलदार रायपुर की प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम नयाखेडा पटवार हल्का झडोल में प्रार्थी की भूमि एवं बिलानाम रास्ते के मध्य विपक्षीगण सरकार 5/16 तुलसी बेवा सरीराम कस्तुरी पुत्री जीतू कंकू पत्नी जीतु अम्बालाल भंवरलाल पिता दला 11/48 घीसा पिता केसा कस्तुरी पुत्री जीतू कंकू पत्नी जीतू जाट 11/32 हि0 ब. सा. देह खातेदार आराजी नम्बर 159 रकबा 0.11 है0 गैमु0 आचा 72*4 = 288 मी.^{2} दूरी की चौडाई का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। डी.एल.सी. दर से 288 वर्गमीटर दर की दोगुनी राशि 28734/— रूपये बनती जो विपक्षीगण को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर तहसीलदार रायपुर की प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गेमु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 02.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा